

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान


दावा बाबत :- 88 रामधर
 मुकदमा नम्बर :- 119/21
 निर्णय दिनांक :- 18.10.21

वनाम
 1. रामचन्द्र पुत्र भादरा जामि मेघवाल
 2. शैलवति पुत्र रामचन्द्र जामि मेघवाल
 3. प्रेममिह पुत्र रामचन्द्र
 4. राजकृष्ण पुत्री रामचन्द्र पत्नी राजकुमार
 5. उमर पुत्री रामचन्द्र पत्नी तेघाशा
 6. राजवान साकार जिरा तहसीलार
 राजस्व धारण

वादी की ओर से वकील सुभाष शर्मा की व प्रतिवादी सं० 18/5 की
 ओर से वकील सिलेन्द्र लेनी वात की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.10.21
 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने
 पर आदेश दिया जाता है कि

श्री मौजा चंड उ जेहसरत के खाला सं० 24/1, 25-2
 के मु० न० 11 प डिता न० 1/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, मु० न० 189 डिता न०
 22/1, 22/2, 23, 24, 25 मु० न० 209 डिता न० 18/10, 24,
 कुल 3. 3090. हे० भूमि भूमिप चंड उमरपुरा के खाला सं० 58/66
 मु० न० 13 डिता न० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 21/1, 21/2, 22, 23
 मु० न० 18 डिता न० 14, 16, 17, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, मु० न०
 29 डिता न० 4 ता 8 कुल 5. 5380 हे० भूमि प्रतिवादी सं०
 रामचन्द्र के नाम दर्ज है मुलकिक राजनिष्ठा प्रतिवादी सं० रामचन्द्र
 की वजाय वादी व प्रति० सं० 1 ता 3 वडिस्ता वराज के खाला सं०
 धारण है, भूमि प्रति० सं० 4-5 ने अपना एक हिस्सा वादी व प्रति० सं०
 के पक्ष में व्याज दर चुक कर लिया है शर्तित व्याज निपे गये
 हिस्से पर निष्ठाउसार नाम्म इष्टी मदा उने व भूमि भूमि
 रख है तो रक्षक होने पर उपरोक्तउसार राजस्व रिजि० में दर्ज
 कर रिजि० डिक्रर भिपा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा, पिला कृष्णसायफाट (देक) भादरा
 प्र.गा. के संग अ.-2021
 कैम्प 23/10/21